



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <dc@nsez.gov.in>: वेबसाइट: WWW.NSEZ.GOV.IN

फा०सं०.10/191/2008-SEZ//

3809
28/04/2025

दिनांक : 28.04.2025

(ईमेल के माध्यम से)

सेवा में,

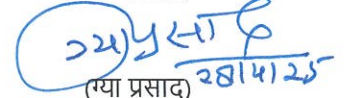
1. निदेशक (एस०ई०जेड०), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001।
2. संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (सीआईटी-तृतीय-जयपुर), न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेचू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
4. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी जयपुर, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेचू सर्किल के पास, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
7. आयुक्त, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
8. मुख्य महाप्रबंधक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
9. निर्दिष्ट अधिकारी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड, जयपुर।
10. सदस्य सचिव, राजधान प्रदूषण मंडल, झालाना, झूंगरी, जयपुर।
11. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (विकासकर्ता), 411, नीलकंठ टावर, भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राजस्थान)।

विषय: महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, जयपुर मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड, जयपुर की अनुमोदन समिति की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 21.04.2025 को पूर्वाह्न 10.30 बजे बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, जयपुर मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड, जयपुर में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में श्री ए. विपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 21.04.2025 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,


(ग्या प्रसाद)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), जयपुर की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त, जो कि श्री ए. बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में 22.04.2025 को सुबह 10.30 बजे कार्यालय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में हाइब्रिड मोड में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

- i. श्री सुरेन्द्र मलिक, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
 - ii. श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
 - iii. श्री पी.एन. शर्मा, संयुक्त निदेशक, उद्योग, राजस्थान, जयपुर
 - iv. श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।
 - v. सुश्री आशिमा चावला, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी, जयपुर (राजस्थान)।
 - vi. श्री विमल मिश्रा, सहयोगी उपाध्यक्ष, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकासक के प्रतिनिधि)।
- उपरोक्त के अलावा, (i) श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आर्थिक क्षेत्र, जयपुर; (ii) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और (iii) श्री सुनील गुलियानी, स्टैनोग्राफर भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - आरंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 24.02.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि दिनांक 24.02.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दिनांक 24.02.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया।

मद संख्या 2. अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव

2.1 मेसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, विकासक

सुरेन्द्र मलिक

2.1.1. श्री विमल मिश्रा, प्रबंधक, मेसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, विकासक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया तथा प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.1.2. अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड, विकासक द्वारा ग्राम कलवाड़ा, झाई, भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील-सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान) में अपने बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत परिचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची की क्रम संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
1.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	63.24
	कुल:		63.24

2.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए "प्रतिबंधित / निषिद्ध" उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 3 इकाइयों के नाम परिवर्तन के लिए प्रस्ताव

3.1 मेसर्स मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

3.1.1 समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई है। इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/65/2013-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/10709 दिनांक 17.10.2013 के संबंध में कंपनी का नाम बदलकर मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

3.1.2 इकाई द्वारा शेयरधारिता स्वरूप का विवरण भी सूचित किया गया जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	हिस्सेदारी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	राहुल मंगल	8422500.00	41.09
2.	आशीष मंगल	4032500.00	19.67
3.	सरोज मंगल	5815000.00	28.37
4.	अनिकेता मंगल	2100000.00	10.24
5.	मीनाक्षी मंगल	32500.00	0.16
6.	शालू मंगल	30000.00	0.15

सुरेंद्र मलिक

7.	राहुल मंगल एचयूएफ	67500.00	0.33
	कुल:	20500000.00	100

3.1.3 इकाई के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री पवन मेंदीरता ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया तथा प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.1.4 उचित विचार-विमर्श के पश्चात समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि संविधान/नाम में परिवर्तन के पश्चात निदेशकों की सूची, नए निदेशकों की नियुक्ति/पुराने निदेशकों की समाप्ति, यदि कोई हो, के लिए डीआईआर-12 की प्रति, नए निदेशकों के पैन/आवासीय पते के प्रमाण/बायो-डेटा की प्रति प्रस्तुत की जाए।

3.2 मैनर एंड म्यूज प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड

3.2.1 समिति को बताया गया कि मेसर्स मैनर एंड म्यूज प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई है। इकाई ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, (एनसीएलटी) जयपुर द्वारा दिनांक 09.01.2025 के आदेश के अनुसार स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/14/2021-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/7883 दिनांक 24.09.2021 के संबंध में मेसर्स ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड को उद्यमी के परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह योजना मैनर एंड म्यूज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच विलय थी।

3.2.2 निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:-

मेसर्स मैनर एंड म्यूज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक	मेसर्स ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक
श्री संजीव गुप्ता	श्री रुद्र चटर्जी अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक
श्री मुरारी प्रसाद सिन्हा	श्री गौरव शर्मा प्रबंध निदेशक
	श्री विष्णु राज शर्मा निदेशक
	श्री रवींद्र नारायण रॉय निदेशक
	श्री डेविड माइनर स्लोअन निदेशक
	श्री वरुण खंडेलवाल निदेशक
	श्री संजय कुमार बहल निदेशक
	सुश्री लिसा वर्सासियो अतिरिक्त निदेशक
	श्री राजेश कुमार निदेशक

3.2.3 श्री रजत अग्रवाल, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी:-

सुरेंद्र मलिक

1. कंपनी के नए नाम में निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) द्वारा जारी आयात निर्यात कोड (आईईसी) और आरसीएमसी।
2. कंपनी के नए नाम में पंजीकृत कार्यालय के पते के संबंध में आईएनसी-22 की प्रति।
3. 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर विधिवत नोटरीकृत कानूनी वचनबद्धता जिसमें कहा गया हो कि 'ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम की सभी संपत्तियां और देनदारियां कंपनी के नए नाम में वैध बनी रहेंगी।
4. कंपनी सचिव/ विशेषाधिकृत लेखापाल (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित दोनों कंपनियों के शेयरधारिता स्वरूप का विवरण (प्रस्तावित विलय से पहले और बाद में)।
5. प्रस्तावित नई इकाई मेसर्स ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के पासपोर्ट/आधार और पैन की प्रतियां भी जमा करना आवश्यक है
6. मेसर्स ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में प्लॉट संख्या पीए-01 1001 के हस्तांतरण के लिए मेसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) की प्रति

3.3 सत्यम प्लास्ट फैब प्राइवेट लिमिटेड से सत्यम प्लास्ट फैब लिमिटेड (पब्लिक लिमिटेड कंपनी)

3.3.1 समिति को सूचित किया गया कि सत्यम प्लास्ट फैब प्राइवेट लिमिटेड (प्राइवेट लिमिटेड फर्म) महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई है। इकाई ने सत्यम प्लास्ट फैब लिमिटेड (पब्लिक लिमिटेड फर्म) को दिनांक 22.03.2019 के स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/11/2019-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/3494 के संबंध में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

3.3.2 इकाई के निर्यात व्यापारी श्री मुदित सक्सेना बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी:-

1. कंपनी के नए नाम में आयात निर्यात कोड (आईईसी)
2. 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत कानूनी वचनबद्धता जिसमें कहा गया हो कि सत्यम प्लास्टफैब प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां कंपनी के नए नाम में वैध रहेंगी।
3. कंपनी सचिव/ विशेषाधिकृत लेखापाल (CA) द्वारा विधिवत प्रमाणित निदेशकों की सूची और कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप (नाम/संविधान में परिवर्तन से पहले और बाद में)।

सुरेंद्र मलिक

4. नए निदेशकों के पासपोर्ट/आधार और पैन की प्रतियां, यदि कोई हों, भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं।

मद संख्या 4 स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना:

4.1 ओरवी डिजाइन स्टूडियो

4.1.1 समिति को सूचित किया गया कि ओरवी डिजाइन स्टूडियो निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण और निर्यात में लगा हुआ है:-

- i. हस्तशिल्प पत्थर की टाइलें
- ii. हस्तनिर्मित राकू चीनी मिट्टी (सिरेमिक) टाइलें 68090030
- iii. हस्तनिर्मित बिखरी कांच की टाइलें 70169000
- iv. धातु की टाइलों के साथ हस्तनिर्मित लकड़ी 44219190
- v. धातु की टाइलों के साथ हस्तनिर्मित कांच 70200090
- vi. तांबा, पीतल और स्टील के साथ हस्तनिर्मित लाइनर 74071030, 74199930, 73269099
- vii. हस्तनिर्मित संगमरमर (जड़ना कार्य के साथ और बिना) चूना पत्थर बलुआ पत्थर ग्रेनाइट (जड़ना कार्य के साथ या बिना) स्लेट पत्थर क्वार्टजाइट 68022190, 25210090, 25162000, 68022310, 68030000, 25062090
- viii. मोती का सीप, (मदर ऑफ पर्ल) लापीस-लाजुली, मैलाकाइट, सुलेमानी पत्थर (एगेट्स) और अन्य रंगीन पत्थरों के साथ जड़ना कार्य के साथ सभी प्रकार के पत्थर हस्तशिल्प 68029900
- ix. . मोती का सीप, लापीस-लाजुली, मैलाकाइट, सुलेमानी पत्थर और अन्य रंगीन पत्थरों के साथ जड़ना कार्य के साथ हस्तशिल्प कांच की टाइलें 70169000
- x. मोती का सीप, लापीस-लाजुली, मैलाकाइट, सुलेमानी पत्थर और अन्य रंगीन पत्थरों के साथ जड़ना कार्य के साथ हस्तनिर्मित लकड़ी की टाइलें 44209010
- xi. हस्तनिर्मित राकू चीनी मिट्टी टाइलें, मोती का सीप, लापीस लाजुली, माल्काइट, सुलेमानी पत्थर और अन्य रंगीन पत्थरों से जड़ाई कार्य के साथ 69149000

4.1.2 अब, इकाई निम्नलिखित को शामिल करके अपनी गतिविधियों को व्यापक बनाना चाहती है:-

1. लकड़ी के फर्नीचर, मार्फेट्री, कई सामग्रियों से जड़ा हुआ लकड़ी का सामान (अध्याय 94 के अंतर्गत नहीं आता); आभूषण या कटलरी के लिए ताबूत और केस; इसी तरह के लकड़ी के सामान, मूर्तियाँ और अन्य आभूषण (HSN कोड: 44209090)
2. पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों से बने सामान (कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर से बने सामान और पीट से बने सामान सहित) (HSN कोड: 68159990)

सुरेंद्र मलिक

3. चीनी मिट्टी टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान (चीनी मिट्टी या चीनी मिट्टी को छोड़कर) (HSN कोड: 69120010)

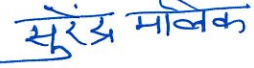
4. कई सामग्रियों (लकड़ी, बोर्ड, लिबास, धातु, पत्थर जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट, आदि) का उपयोग करके फर्नीचर का निर्माण (HSN कोड: 94038900)

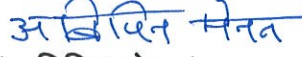
4.1.3 वर्तमान ब्लॉक अवधि की वैधता 31.10.2023 तक थी और इस अवधि के दौरान इकाई का वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एनएफई) 5116.12 लाख रुपये था। इसके अलावा, स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता 31.10.2028 तक नवीनीकृत की गई है।

4.1.4 परिचालन प्रमुख श्री विवेक कुमार बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.5 समुचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त


(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त